

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां (राज.)
पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)



प्रकरण संख्या :- 117/2018

बउनवान

धनराज आयु 55 वर्ष पुत्र किशनलाल जाति मीणा निवासी बरखेडी तहसील अटरू जिला बारां
(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें नायब तहसीलदार, कवाई जिला बारां

(रेस्पोंडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :- 1- श्री बृजराज सिंह चौहान अभिभाषक
2- पेरोकार सरकार

(अपीलांट)

(रेस्पोंडेन्ट)

निर्णय दिनांक 18.1.2019

अपीलांट द्वारा जयें अभिभाषक यह अपील अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, कवाई के प्रकरण संख्या 723/2014 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 30.5.2014 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट को वाके ग्राम बरखेडी की सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर सम्वत् 2070 में खसरा नम्बर 222 की रकबा 0.25 है। भूमि पर फसल सरसो की बोई जाकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 30 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं 125/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर प्रस्तुत अपील को दिनांक 23.8.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोंडेन्ट को जयें नोटिस तलब कर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय खिलाफ कानून पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं कानूनी मान्यता प्राप्त सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय से पूर्व ना तो मौके पर कब्जे बाबत कोई पुष्टि की ना ही पडौसी खेत वालों की कोई साक्ष्य रिकार्ड पर ली गई मात्र हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट को आधार मानते हुए बिना अपीलांट को सुनवायी एवं जवाबदेही का अवसर दिये एकतरफा निर्णय पारित किया है। जो विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय है। अपीलांट द्वारा जुर्माना राशि जमा करा दी है उक्त आराजी पर अपीलांट का वर्तमान में कोई कब्जा नहीं है। उक्त निर्णय से पूर्व अपीलांट को ना तो विधिवत कोई नोटिस दिया ना ही सुनवायी हेतु कोई सूचना प्रेषित की गई मात्र हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर एकतरफा निर्णय पारित कर दण्डित करने में भारी भूल की है।

उक्त निर्णय की सर्वप्रथम अपीलांट को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने आने पर दिनांक 28.7.2018 को हुई। इस पर दिनांक 30.7.2018 को नकल हेतु आवेदन किया और दिनांक 7.8.2018 को नकल प्राप्त होने पर तथा रूपये पैसे का इंतजाम करने में समय लग गया। इस कारण अपीलांट समय पर अपील पेश नहीं कर सका। अपील स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त फरमाया जाकर, अपीलांट को दोषमुक्त घोषित किया जावे।

इसके विपरीत परोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर फसल सरसो की बोई जाकर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को जर्जे सम्मन तलब किया गया है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहा है। अपीलांट द्वारा 2067 में भी अतिक्रमण किया गया था, जिसे पटवारी हल्का द्वारा बेदखल किया गया था। अपीलांट द्वारा पुनः सम्वत् 2070 में किया गया, अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय यथावत रखा जावे।

हमने उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया गया। अपीलांट वक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार कवाई में अनुपस्थित रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के बयान लिये गये हैं और अपीलार्थी को पटवारी के बयानों में जिरह का अवसर नहीं दिया गया है तथा दो स्वतंत्र गवाहों के बयान भी नहीं लिये गये हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय की तकनिकी त्रुटी होना पाया जाता है।

अतः परिणाम स्वरूप अपीलांट का मुख्य कथन है कि पटवारी हल्का द्वारा उसके विरुद्ध झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और प्रिन्टेड प्रोफार्मा में नाम पता अंकित कर निर्णय दिया है, जो असंगत है। इस पर अपील अपीलांट इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार कवाई को प्रकरण संख्या 723/2014 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट में पारित आदेश दिनांक 30.5.2014 में आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम बरखेडी की सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर सम्वत् 2070 में खसरा नम्बर 222 की रकबा 0.25 है. की पुनः जाँच करवाई जावे कि अपीलांट का उक्त आराजी पर अतिक्रमण था अथवा नहीं यदि अपीलांट का अतिक्रमण होने की पुष्टि होती है तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय यथावत रखा जाता है। यदि अन्य व्यक्ति का अतिक्रमण पाया जाता है तो अपीलांट के विरुद्ध कार्यवाही बन्द की जाकर, अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही अमल में लाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.1.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति० जिला कलक्टर,
बारां